307

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी, 1997 (माघ 25, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ/प्रतिज्ञान

श्री जगन्नाथ (जगदीश पटेल) उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री किशोरीलाल वर्मा, बच्चन नायक, रघुराज सिंह तोमर, सदस्य, खंडवा एवं खरगोन जिले में ओलावृष्टि से कृषकों की फसल नष्ट होने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, गोपीकृष्ण नेमा, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इंदौर शहर के चौराहे पर एक पेट्रोल पम्प कर्मी को लूट कर एक व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री रामलखन शर्मा, चतुरीलाल बराहदिया, श्रीमती विद्यावती पटेल, सदस्य, रीवा शहर में दो व्यक्तियों की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री बनवारी लाल अग्रवाल, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम बगदेवा में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड की नई कोयला खदान प्रारंभ होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 34, मुंगावली के सदस्य श्री आनन्द कुमार पालीवाल को विधान सभा के फरवरी - मार्च, 1997 सत्र में दिनांक 12 फरवरी, 1997 से दिनांक 5 मार्च, 1997 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी, सभापति, विशेषाधिकार समिति का पन्द्रहवां, सोलहवां एवं सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सुनील जैन, सदस्य, सागर जिले के ग्राम नन्ही देवरी में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने,

(2) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, राजधानी भोपाल के शक्तिनगर-साकेत नगर-अलकापुरी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(3) श्री घनश्याम पाटीदार, सदस्य, मन्दसौर जिले के-
(क) ग्राम कवई स्थित तालाब का पुनर्निर्माण कराये जाने,
(ख) कस्बा झांतला से ग्राम केवलपुरा तक पक्की सड़क बनाये जाने, तथा
(ग) ग्राम सिंगौली से तिलसम्मा तक सड़क की मरम्मत कराये जाने,

(4) श्री दीनूलाल ताराम, सदस्य, मण्डला जिले के ग्राम सालीवाड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(5) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के-

(क) ग्राम पिपरौध स्थित शासकीय हाईस्कूल में शिक्षक पदस्थ कराये जाने,

(ख) ग्राम पिपरौध में गरीब कृषकों को पूर्व में दी गई जमीन को पुनः वापस दिलाये जाने, तथा

(ग) होशंगाबाद जिले के ग्राम विक्रमपुर खुर्द में विद्युत् लाइन लगाई जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

7. राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा का वक्तव्य

श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा, दिनांक 29 नवम्बर, 1996 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्रमांक 211) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 30 मि. श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) संशोधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 2 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. अशासकीय संकल्प

(1) श्री मांगी लाल भण्डारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

1 घन्टा "सदन का यह मत है कि प्रदेश में सिंचाई एवं निस्तारी तालाबों का गहरीकरण कराया जाय".

(2) श्री अरुण वोरा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

45 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में संचालित निजी कम्प्यूटर शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों के विनियमन हेतु शीघ्र ही कानून बने".

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

45 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा एवं राज्य शासन के समस्त ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उन्हें आवंटित शासकीय आवास खाली कराये जायें जिन्हें शासन द्वारा स्वयं के भवन निर्माण हेतु ऋण दिया गया हो और जिनके परिवारजनों के नाम भोपाल में स्वयं के भवन हों".

भोपाल :
दिनांक : 13 फरवरी, 1997

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा